

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति(अत्याचार निवारण)अधिनियम/विद्युत अधिनियम, शामिल।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०-728/2026

शील कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम नांगल थाना थानाभवन जिला शामिल।

-----आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०सरकार

-----विपक्षी।

दिनांक:01.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र अभियुक्त **शील कुमार पुत्र रामस्वरूप** की तरफ से जरिये विद्वान अधिवक्ता मु० अ० सं०-161/2016, अन्तर्गत धारा-138 विद्युत अधिनियम, थाना थानाभवन, जनपद शामिल के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन की तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न देने का उल्लेख किया गया है तथा इसी आशय का पृष्ठांकन प्रार्थना पत्र पर भी किया गया है। तदनुसार प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र बल न देने के कारण खण्डित होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **शील कुमार पुत्र रामस्वरूप** द्वारा उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र बल न देने के कारण निरस्त किया जाता है।

(सुरेन्द्र कुमार राय)

J.O.Code-UP1761

अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधि०/विद्युत अधिनियम,
शामली।